

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2012—पौष 16, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

फा. क्र. 3(ए)4-2011-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994, यथासंशोधित नियम-5 (1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री राकेश कुमार (गुप्ता), द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, आष्टा जिला सीहोर.
2. श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा, षष्ठम् ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, भोपाल.

3. श्री राजीव कुमार अयाची, प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, छिन्दवाड़ा.
4. श्री मोहम्मद शकील खान, पन्द्रहवें ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जबलपुर.
5. श्री जयप्रकाश सिंह, अष्टम् ए.डी.जे. के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, सागर.
6. श्री सुरेश कुमार चौबे, (सीनियर) उन्नीसवें ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जबलपुर.
7. श्री मधुसुदन मिश्रा, प्रथम ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जौरा जिला मुरैना.
8. श्री सुरेश सिंह, सोलहवें ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, इन्दौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 30-1-2000-1-55.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य दन्त परिषद्, इन्दौर में डेन्टिस्ट एक्ट 1948 की धारा 21 (ई) के अन्तर्गत निम्नानुसार सदस्य मनोनीत करता है:—

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. डॉ. अशोक खण्डेलवाल, डीन, कालेज आफ डेन्टल साइन्सेस, राउ इन्दौर, मध्यप्रदेश.
3. डॉ. चन्द्रेश शुक्ला, एम.डी.एस.

(2) डेन्टिस्ट एक्ट 1948 की धारा 27(1) के प्रावधान अन्तर्गत उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा राज्य शासन के प्रसाद तक जो भी पहले हो, निर्धारित रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, प्रमुख सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-1(ए) 18-2004-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा श्री अभय सिंह भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल को दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2011 की मध्यरात्रि में थाना तलैया क्षेत्र अन्तर्गत इतवारा (भोपाल) में दो समुदाय के मध्य हुये उपद्रव में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आंख में आई गम्भीर चोट के कारण अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम-1972 के नियम-44 एवं 45 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 11 अगस्त 2011 से 15 अक्टूबर 2011 तक कुल 56 दिवस का विशेष अपंगता अवकाश (Special Disability Leave) स्वीकृत किया गया था.

(2) राज्य शासन द्वारा श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण क्षेत्र, भोपाल को उक्त अवकाश की निरंतरता में

दिनांक 16 अक्टूबर 2011 से 31 अक्टूबर 2011 तक कुल 16 दिवस का और विशेष अपंगता अवकाश (Special Disability Leave) स्वीकृत किया जाता है.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-1(ए) 199-91-ब-2-दो.—श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व), विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पूर्व), विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ-1(ए) 264-86-ब-2-दो.— श्री बी.मारिया कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार), पीएसओ टू डीजीपी, पु.मु. भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत गृह नगर यात्रा के बदले में सपरिवार "हैदराबाद" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

- | | | |
|----|----------------------|---------|
| 1. | बी. मारिया कुमार | -स्वयं |
| 2. | श्रीमती विजय लक्ष्मी | -पत्नी |
| 3. | आदित्या | -पुत्र |
| 4. | कु. सुस्मिता | -पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) पीएसओ टू डीजीपी, पु.मु. भोपाल का कार्य श्री एम.आर. आसुदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार), पीएसओ टू डीजीपी, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार), पीएसओ टू डीजीपी, पु.मु. भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वयमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाश काल में श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. मारिया कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 55-2000-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2011 द्वारा श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 12 से 24 दिसम्बर 2011 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश, उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “रामेश्वरम्,

कन्याकुमारी, मदुरै एवं लक्षद्वीप” अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है.

(2) श्री ए. एस. चौधरी, भापुसे द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग न करने के कारण अर्जित अवकाश, अवकाश यात्रा अनुमति एवं 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति संबंधी उक्त आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 1(ए) 168-89-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध), पु.मु. भोपाल को दि. 31 अक्टूबर 2011 से 2 नवम्बर 2011 तक कुल तीन दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 30 अक्टूबर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2011 तक 02 दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ एवं दि. 9 से 26 नवम्बर 2011 तक अट्टारह दिवस अर्जित अवकाश, दि. 27 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, इस प्रकार कुल तेईस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 15-12-2011-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93, 94(2) 95, 96, 97(1), 98(2) के साथ सहपठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अट्टारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित नगर-पेटलावद जिला झाबुआ के खण्डों (ब्लॉकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम (3), (4), (5) तथा (6) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है, जो वाणिज्यिक/ औद्योगिक प्रयोजनों और आवासगृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लायी जाती है:—

क्र. समूह क्रमांक एवं नगर का नाम	प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण मानक दरें		प्रति 10 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण मानक दरें		
	निवासार्थ	व्यापारार्थ	निवासार्थ	व्यापारार्थ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पेटलावद	168.00	252.00	180.00	270.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात् :—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार हेक्टेयर में	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 2	6	1795	1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 67-165-10-तीन-2151.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कारी जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री विश्वकर्मा सुदामा प्रसाद, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत कारी जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न. नि./व्यय लेखा/10/406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विश्वकर्मा सुदामा प्रसाद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विश्वकर्मा सुदामा प्रसाद को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2010 जारी कर कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री विश्वकर्मा सुदामा प्रसाद को नोटिस दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामिली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2011 में लेख किया कि “श्री विश्वकर्मा सुदामा प्रसाद को जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली के पश्चात् नोटिस में उल्लिखित अवधि में उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.” आयोग द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 15 नवम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामिली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विश्वकर्मा सुदामा प्रसाद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कारी जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 67-165-10-तीन-2152.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कारी, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री अहीर रामप्रसाद, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत कारी, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न. नि./व्यय लेखा/10/406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अहीर रामप्रसाद, द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अहीर रामप्रसाद को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में

कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री अहीर रामप्रसाद को नोटिस दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2011 में लेख किया कि “श्री अहीर रामप्रसाद को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् नोटिस में उल्लिखित अवधि में उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.” आयोग द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 15 नवम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अहीर रामप्रसाद को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कारी, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 67-165-10-तीन-2153.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत कारी, जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री रमेश प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर पंचायत कारी, जिला टीकमगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्र. न. नि./व्यय लेखा/10/406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रमेश प्रसाद तिवारी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रमेश प्रसाद तिवारी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री रमेश प्रसाद तिवारी को नोटिस दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने

पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2011 में लेख किया कि "श्री रमेश प्रसाद तिवारी को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् नोटिस में उल्लिखित अवधि में उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है." आयोग द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 15 नवम्बर 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रमेश प्रसाद तिवारी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत कारी, जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 67-273-10-तीन-2185.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन

व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जुलाई 2010 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत सुवासरा, जिला मन्दसौर के आम निर्वाचन में श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 28 जुलाई 2010 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 27 अगस्त 2010 तक श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मन्दसौर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मन्दसौर के पत्र दिनांक 4 जनवरी, 2011 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2011 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मन्दसौर के माध्यम से दिनांक 24 जनवरी 2011 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल को नोटिस दिनांक 24 जनवरी 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 8 फरवरी 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मन्दसौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 30 अगस्त 2011 के द्वारा लेख किया है कि नोटिस तामिली होने के पश्चात् श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल सूर्यवंशी द्वारा अपना व्यय लेखा दिनांक 21 जनवरी 2011 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में अभ्यर्थी श्रीमती प्रेमबाई द्वारा तहसीलदार सुवासरा के समक्ष में उपस्थित होकर मौखिक रूप से गृहकार्य से बाहर जाना कारण बताया है।

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 15 नवम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मन्दसौर द्वारा तहसीलदार सुवासरा के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 2 अक्टूबर 2011 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती प्रेमबाई पति श्री मगनलाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत सुवासरा, जिला मन्दसौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 67-85-10-तीन-2187.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन

व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी), अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2009 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2010 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के माध्यम से दिनांक 6 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) को नोटिस दिनांक 6 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस के जबाब में अभ्यर्थी श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 8 फरवरी 2010 आयोग को प्रेषित किया जिसमें लेख किया है कि—मैं प्रार्थी हिसाब-किताब में कमजोर हूँ और मैंने कोई चुनाव में खर्च नहीं किया, इसलिये मैं समझा कि मुझे कोई हिसाब-किताब नहीं देना है. अभ्यर्थी ने इस भूल की क्षमा चाही है.

उक्त अभ्यावेदन की जांच उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद से कराई गई. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि इस संबंध में श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति को बुलाया तथा कथन लिये गये. कथन में जवाब की पुष्टि की गई है. श्री प्रजापति द्वारा चुनाव में कोई खर्च नहीं किया गया सही पाया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 28 अक्टूबर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना-पत्र की तामिली श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति को दिनांक 29 सितम्बर 2011 को कराई गई. अभ्यर्थी श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया है.

अतः अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्वाचन में कोई खर्चा नहीं किया था, तब भी उन्हें विहित समयावधि में व्यय लेखा की निरंक जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए थी. लेकिन उनके द्वारा विहित समयावधि में व्यय लेखा की निरंक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इस गलती को उन्होंने स्वयं ही अपने अभ्यावेदन दिनांक 8 फरवरी 2010 में स्वीकार किया है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री जगदीश चन्द्र प्रजापति (चन्द्रास्वामी) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 01 वर्ष (एक वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. 1718-रा.स.-यू.ए.-5-2011.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) के अन्तर्गत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 868-रास.-यू.ए.-5-2009, दिनांक 10 जून 2009 द्वारा डॉ. के. ए. सिंह, संचालक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, पहुज डेम के पास, ग्वालियर रोड, झांसी को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य अधिसूचित किया गया था.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (दस) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में डॉ. एम. एम. पाण्डेय, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (इंजी.), कृषि अनुसंधान भवन-2, पूसा, नई दिल्ली को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया,
कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती,

विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-1-1-2011-रास-यू.ए.-1-1722.—मध्यप्रदेश, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, एतद्द्वारा, डॉ. के. एन. सिंह यादव, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिसटिक्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी (उ.प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिचय 1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

आदेश

क्र. सामान्य-1-2011-725.—क्रमांक एफ 59/01/04 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सोनाली एन. वायंगणकर कलेक्टर, जिला शाजापुर, वर्ष 2012 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक (1)	नाम त्यौहार (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	श्रावण मास का अंतिम सोमवार बैजनाथ महादेव आगर की सवारी.	30-7-2012	सोमवार	केवल आगर अनुविभाग के लिये
2	गणेश चतुर्थी	19-9-2012	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
3	महा अष्टमी	22-10-2012	सोमवार	सम्पूर्ण जिला
4	भाईदूज	15-11-2012	गुरुवार	आगर अनुविभाग को छोड़कर

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर,

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 09-अ-82-2010-11-659—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गुना	कुंभराज	सोल्यावेह	28/1/1/3 ख 0.872 35/2/14/1/13क 0.303 35/2/14/1/13ख 4.675 28/1/2 ख 0.941 28/1/1/5 क 1.193 35/2/14/1/4 क 0.962 35/2/14/1/4 ख 0.700 28/1/1/6 क 1.431 35/2/14/1/1 क 0.209 35/2/14/1/1 ख 3.784 35/2/14/1/6 क 1.000 28/1/1/7 क 0.657 35/2/14/1/5 क 0.303 35/2/14/1/5 ख 0.303 28/1/1/8 क 2.090 35/2/14/1/2 क 0.209 28/1/1/2 क 1.045 35/2/14/1/3 क 0.303 35/2/14/1/3 ख 2.425 28/1/3 1.045 35/19 क 0.627 35/28ख 0.063 35/17 1.000 योग . . . 26.140	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.	सोल्यावेह सिंचाई तालाब निर्माण योजना.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी चॉचौड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चॉचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 2875-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अन्जड़	सजवाय	3.807	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-11 बड़वानी जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर, के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान)का अवलोकन, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. 2903-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	मोहीपुरा	24.934	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-11 बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान)का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी एवं भू-अर्जन कार्यालय इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. 2910-भू-अर्जन-नहर-2011-प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	अंजड़	7.358	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-11 बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सब-माईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान)का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय बड़वानी एवं भू-अर्जन कार्यालय, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 21029-भू.अ.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	तेन्दूखेड़ा	पिड़रई (पांजी)	0.36	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह (म. प्र.)	अजीतपुर, खमरिया पहुंच मार्ग हेतु.
		कुल योग . .	0.36		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेन्दूखेड़ा (दमोह) तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्र. 4-अ-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	बबचिया	17.490	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
योग . . .			17.490		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—सगड़ सिंचाई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नटेरन, जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. 46-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	कुई	8.902	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की अरौली शाखा नहर के निर्माण हेतु.
योग . .			8.902		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 49-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बहांगीखुर्द	1.76	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुर ब्रांच केनाल के निर्माण हेतु.
योग . .			1.76		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 50-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उदयपुर	2.679	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुर ब्रांच केनाल के निर्माण हेतु.
योग . .			2.679		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है

क्र. 51-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	बंधौली	1.22	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुर ब्रांच केनाल के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>1.22</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 52-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	भटपुरासानी	10.79	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-2, ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुर ब्रांच केनाल के निर्माण हेतु.
योग . .			<u>10.79</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 53-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	अमरौल	2.273	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-1, डबरा ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
योग				<u>2.273</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 54-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	सिकरोदा	3.581	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-1, डबरा ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
योग				<u>3.581</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 55-अ-82-10-11-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	प्रेमपुर	1.913	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग-1, डबरा ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा नहरों के निर्माण हेतु.
योग				<u>1.913</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	अमिलिया	2.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	नादौं	2.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बरहा	1.033	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	दतौरा	7.030	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	टेगना	0.910	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैंहर	जोवा	71.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	खारा	23.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैंहर	हिनौता	4.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मन्नी	3.60	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	धनवाही	2.900	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मन्नी	75.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बड़ा इटमा	1.800	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियांरी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	दतवार	2.450	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियारी सागर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैंहर	टीकर खुर्द	21.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैंहर	बदरियां	34.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.	अधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. 13956-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	बदनावर	4.094	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	बागेड़ी तालाब की लघु नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. क-10532-प्र.भू-अर्जन-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	(6)	(7)
सागर	देवरी	विलगुवा	6	1.79	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-10534-प्र.भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	(6)	(7)
सागर	देवरी	रीछई	30	5.98	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.).	देवरी विकासखण्ड के अन्तर्गत समनापुर जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-अ-82-वर्ष 11-12-10545.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	(6)	(7)
सागर	केसरी	रैगाझोली	28	36.94	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर (म.प्र.).	सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
सागर	केसली	ईदलपुर	117	160.16	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	अर्जुनी	29	19.35	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	उमरिया	5	1.51	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	टडा	5	1.70	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	थावरी	60	42.10	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	उंटकटा	98	99.33	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	जमुनिया	14	15.01	—तदैव—	सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली बांध निर्माण हेतु.
सागर	केसली	भौहारा	101	79.79	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	बेडार	52	53.16	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	रमगढ़ा	18	7.40	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	बाकोरी	92	73.00	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	घाना	102	89.84	—तदैव—	—तदैव—
सागर	केसली	किशनपुर	13	27.60	—तदैव—	—तदैव—
योग . .			734	706.89		

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सोनपुर मध्यम परियोजना के सोनपुर फीडर बांध निर्माण हेतु.
 (3) भूमि नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	आहूखाना	0.21	संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उपमण्डल, बुरहानपुर.	राष्ट्रीय अभिरक्षित स्मारक आहूखाना तक पहुंच मार्ग विकसित करने हेतु.
		कुल रकबा . .	0.21		

(2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 2256-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	कोयलारी	2.120	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्रमांक 1, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2258-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	नादौ	0.405	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्रमांक 1, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2260-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	सुलखमा	1.671	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्रमांक 1, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2262-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त

अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का विवरण				अनुसूची	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	रामनगर	0.077	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्रमांक 1, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-एस.डी.ओ.-11-12-भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची						
भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)			
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			सार्वजनिक प्रयोजन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)	(6)
रायसेन	गैरतगंज	बेरखेडी	124/1/1	4.030	0.364	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग गैरतगंज. बेरखेडी नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			127/1	1.150	0.049	
			112/1	3.004	0.126	
			131	1.668	0.042	
			132	2.339	0.336	
			135	1.064	0.042	
			140	0.987	0.084	
			167	0.219	0.056	
			165, 141	3.589	0.084	
			142	1.064	0.168	
			157/1	2.255	0.308	
			157/2	1.619	0.140	
			157/3	1.619	0.056	
			कुल योग . .		1.855	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. 683-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का बमरहा तालाब योजना प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—वधैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.918 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.688
3	0.502
4	3.162
5	0.040
6	0.158
7	0.117
8	0.620
9	0.061
14	0.526
15	0.123
16	0.113
17	0.053
18	0.392
19	0.081
20	0.061

(1)	(2)
21/1	0.918
22/1	0.963
21/2	0.458
34/1/क	0.651
34/1/ख	0.231

योग . . . 9.918

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बमरहा बांध योजना हेतु.
(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 29-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सिरसौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.62 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कतुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
765	2.120	0.36

(1)	(2)	(3)
763	1.16	0.10
547	0.740	0.04
563	0.43	0.06
552	0.45	0.08
551	0.55	0.10
554	0.54	0.10
556	0.53	0.07
536	0.58	0.07
535	0.40	0.12
568	0.58	0.12
569	0.52	0.11
464	0.79	0.11
462	0.62	0.02
463	0.79	0.16

योग . . . 1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की गनपतपुरा शाखा नहर निर्माण हेतु ग्राम सिरसौद की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 43-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—भटपुरासानी, प. ह. नं. 70

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.13 हेक्टर.

फार्म एक (3)

हर्सी उच्चस्तरीय सिन्ध परियोजना फेज -II नहर (R. D. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी.) के निर्माण हेतु आने वाले कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्रमांक	सर्वे क्र. का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
(1)	(2)	(3)
523	0.800	0.620
520	0.130	0.040
519	0.120	0.030
518	0.170	0.030
517	0.050	0.020
513	0.280	0.060
449	0.630	0.120
532	0.410	0.170
531	0.210	0.170
525	3.170	0.580
495	0.540	0.190
452	0.090	0.050
453	1.560	0.470
521	0.150	0.070
530	3.080	0.510

योग . . . 3.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अरौली शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 44-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1)	(2)	(3)
183	0.380	0.140
164	1.460	0.020
147	1.280	0.020
		योग . . . 2.95

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—मानपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.95 हेक्टर.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की अरौली शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

फार्म एक (3)

हर्सी उच्चस्तरीय सिन्ध परियोजना फेज -II नहर (R. D. 72.88 कि. मी. से 110 कि. मी.) के निर्माण हेतु आने वाले कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

सर्वे क्रमांक	सर्वे क्र. का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा
(1)	(2)	(3)
158	1.370	0.410
163	0.620	0.180
80	0.710	0.010
88	0.650	0.130
157	1.940	0.340
160	1.120	0.090
161	0.960	0.390
162	0.450	0.190
184	0.180	0.050
89	0.630	0.350
91	0.080	0.020
92	0.360	0.140
93	0.310	0.160
95	0.730	0.220
90	0.490	0.020
182	0.490	0.070

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—बुदनी
(ग) नगर/ग्राम—सूदोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.649 हेक्टर.

खसरा नम्बर (में से)	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26/3	0.040
26/4	0.044

(1)	(2)	प्र. क्र. 7-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
26/5	0.052	
26/6	0.048	
26/2	0.081	
26/1	0.064	

27 0.303

25/4 0.024

32/3 0.012

32/2 0.072

32/1 0.216

25/5 0.136

33/1 0.096

24/4 0.072

24/5 0.136

34/1 0.404

36/1 0.388

36/2 0.089

18/1 0.012

18/2 0.012

11 0.186

44 0.234

47 0.283

48 0.032

59/2 0.161

59/1 0.210

58 0.242

योग . . 3.649

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—बुदनी

(ग) नगर/ग्राम—पनारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.889 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)

(1)	(2)
-----	-----

96, 100/1 ग	0.729
-------------	-------

100/2 छ	0.429
---------	-------

104, 105	0.154
----------	-------

108	0.008
-----	-------

109	0.040
-----	-------

110	0.016
-----	-------

127	0.062
-----	-------

124, 125, 186/127	0.032
-------------------	-------

123/1	0.019
-------	-------

129	0.259
-----	-------

130/3	0.141
-------	-------

योग . . 1.889

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहर का निर्माण माईनर-2.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बुदनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु नहर नहर क्रमांक 1 (एम. 1) हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी बुदनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 03-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बोरखेड़ाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.282 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1) रकबा (हेक्टर में) (2)

1/1 0.758

1/2/1 0.394

1/2/2 0.288

3/1/1 0.074

21/1/1 0.512

21/1/2 0.256

योग . . 2.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोघरा संयुक्त परियोजना मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—हमीदगंज

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.292 हेक्टर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोघरा मध्यम परियोजना की हमीदगंज उपनहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
143, 144, 145/1	0.240
143, 144, 145/2	0.085
143, 144, 145/3	0.064
143, 144, 145/4	0.060
150/1/1	0.126
148/5/1	0.114
149	0.391
175, 176, 177/2 क	0.202
175, 176, 177/2 ख	0.182
175, 176, 177/2 ग	0.032
172, 173, 174, 178/2/2	0.086
172, 173, 174, 178/2/1 ग	0.060
172, 173, 174, 178/2/1 घ	0.080
172, 173, 174, 178/1/1 क	0.121
172, 173, 174, 178/1/1 ख	0.200
170/2/1	0.077
170/2/2	0.075
170/1	0.097
171/2	0.012
168/3	0.244
168/2	0.026
166/1	0.140
166/2	0.190
166/3	0.166
166/4	0.098
166/5 क	0.124

योग . . 3.292

सीहोर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 02-अ-82-10-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—हमीदगंज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.280 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/2	0.157
383/3ख	0.314
383/3क/1	0.185
383/3क/2	0.186
384/3क	0.343
384/3ख	0.095
योग . .	<u>1.280</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोघरा संयुक्त परियोजना मुख्य नहर भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

क्र. 10305-भू-अर्जन-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—रायखेड़ा, प. ह. नं. 25
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.38 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
224/306 ख	0.05
223/2	0.33
227/1	0.02
227/2	0.15
215	0.56
214	0.24
229/1	0.38
229/3	0.18
228	0.51
230	0.37
231/2	0.17
231/3	
231/4	0.42
योग . .	<u>3.38</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. 10533-भू-अर्जन-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—जमुनिया पंडित, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.00 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/6	0.06
8/1	0.06
8/2	0.06
8/3	0.06
8/4	0.05
6	0.08
7	0.13
9	0.22
10/4	0.04
10/3	0.02
11/1	0.36
12/1	0.39
12/2	
11/2	0.03
13/1	0.28
15/1	0.64
24	0.12
15/2	0.02
13/2	0.02
21/2	0.01
17/1	0.70
17/2	0.01
17/3	0.32
119	0.50
121/1	0.42
121/2	0.50
122/2	0.07
127	0.41
128/1	0.14
128/2	0.27
47/1	0.01
योग . .	<u>6.00</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10535-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—देवरी पाठक, प. ह. नं. 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.82 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.07
8	0.45
9	0.22
11	1.01
76	0.16
77	0.31
79	0.32
81/1	0.10
80	0.31
80/124	0.28
84/1	0.18
84/2	0.20
85	0.35
90/1	0.04
90/2	0.24
90/3	0.56
2	0.01
78/1	0.01
योग . .	<u>4.82</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10536-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—देवरी
(ग) ग्राम—छिदली प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.64 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
79/1	0.04
79/2	0.35
318/3	0.06
319/2	0.05
319/3	0.13
322/1	0.40
323/1	0.78
305	0.24
309	0.18
362	0.25
361/1	0.17
364	0.24
372/1	0.22
372/2	0.16
371/1	0.21
371/2	0.55
370/1	0.02
391/1	0.45
391/2	0.35
394/1	0.18
394/2	0.40
395	0.15
396	0.06
कुल खसरा नं. . .	5.64

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—समनापुर जलाशय योजना के नहर निर्माण क्षेत्र हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. 976-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम—किरहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.443 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
395	0.384
298	0.664
296	0.146
297	1.157
297/556	1.092
निजी खाता योग . .	3.443

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—इटमा कोठार तालाब योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	339	0.09
सीधी, दिनांक 22 दिसम्बर 2011	340	0.04
	343	0.04
क्र. 316-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	344	0.05
का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित	345	0.02
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन	346	0.06
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक	347	0.08
एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित	348	0.05
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	349	0.05
आवश्यकता है:—	350	0.05
अनुसूची	352	0.14
(1) भूमि का वर्णन—	353	0.10
(क) जिला—सीधी	361	0.38
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	362	0.03
(ग) नगर/ग्राम—मनकीसर	363	0.20
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.11 हेक्टर.	364	0.18
	386	0.23
खसरा	389	0.11
नम्बर	390	0.26
(1)	392	0.07
10	396	0.16
11	397	0.06
23	400	0.07
24	401	0.07
31	402	0.56
37	268	0.32
38	269	0.05
39	292	0.22
40	294	0.09
205	295	0.04
207	296	0.11
210	297	0.11
214	298	0.03
215	300	0.07
217	302	0.03
219	303	0.18
238	304	0.02
250	305	0.02
257	306	0.03
275	321	0.09
312	322	0.05
314	323	0.06
315	324	0.07
336	325	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
326	0.06	446	0.04
327	0.02	447	0.02
329	0.02	448	0.01
331	0.03	455	0.07
332	0.03	447	0.08
350	0.12	460	0.05
351	0.02	462	0.05
353	0.05	463	0.08
354	0.06	464	0.12
355	0.05	467	0.08
356	0.02	468	0.06
357	0.07	469	0.05
358	0.04	470	0.02
359	0.05	471	0.01
369	0.06	472	0.07
370	0.10	473	0.25
371	0.13	474	0.04
372	0.03	479	0.01
384	0.01	480	0.06
385	0.01	481	0.03
386	0.05	482	0.05
387	0.03	483	0.05
388	0.06	484	0.05
389	0.08	485	0.04
390	0.07	488	0.06
391	0.01	489	0.04
392	0.01	490	0.05
393	0.01	491	0.03
411	0.03	497	0.11
412	0.03	499	0.02
413	0.02	500	0.08
414	0.03	501	0.11
415	0.02	502	0.03
416	0.01	503	0.04
417	0.01	504	0.04
418	0.01	507	0.05
419	0.01	508	0.05
420	0.02	546	0.01
421	0.02	547	0.00
422	0.04	549	0.02
442	0.01	550	0.02
443	0.04	570	0.02
444	0.02	571	0.02
445	0.02	574	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
576	0.02	75	0.08
579	0.02	78	0.06
580	0.01	79	0.04
581	0.02	81	0.12
679	0.03	85	0.02
680	0.02	89	0.12
681	0.03	97	0.30
682	0.04	98	0.03
683	0.04	99	0.04
	योग . . . <u>13.11</u>	105	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.		106	0.04
		108	0.07
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		110	0.12
		111	0.04
		112	0.10
क्र. 318-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		113	0.23
		114	0.27
		115	0.04
		116	0.20
		118	0.05
		132	0.09
		223	0.01
		224	0.12
(1) भूमि का वर्णन—		226	0.01
(क) जिला—सीधी		227	0.01
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		228	0.05
(ग) नगर/ग्राम—धनगवाँ		229	0.08
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.48 हेक्टेयर.		230	0.02
खसरा	रकबा	245	0.02
नम्बर	(हेक्ट. में)	250	0.14
(1)	(2)	251	0.06
46	0.09	252	0.05
49	0.09	254	0.02
53	0.06	255	0.02
54	0.11	256	0.03
65	0.11	258	0.02
66	0.14	259	0.01
69	0.08	261	0.02
71	0.09	263	0.02
72	0.05	264	0.04
74	0.08	265	0.09

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
266	0.11	
268	0.02	क्र. 320-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
269	0.04	
280	0.02	
282	0.13	
322	0.14	
323	0.02	
324	0.02	
325	0.02	
327	0.03	
328	0.06	
381	0.03	
383	0.10	
384	0.08	
401	0.08	
402	0.03	
404	0.11	
405	0.08	
406	0.02	
407	0.05	
408	0.11	
409	0.06	
410	0.14	
144	0.10	
412	0.02	
413	0.06	
415	0.09	
418	0.07	
419	0.02	
420	0.06	
421	0.01	
447	0.04	
448	0.23	
450	0.02	
452	0.06	
455	0.15	
457	0.07	
458	0.03	
462	0.03	
468	0.09	
469	0.02	
	योग . . .	
	<u>6.48</u>	
		अनुसूची
		(1) भूमि का वर्णन—
		(क) जिला—सीधी
		(ख) तहसील—गोपद बनास
		(ग) नगर/ग्राम—भमरहा
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.67 हेक्टेयर.
		खसरा रकबा
		नम्बर (हेक्ट. में)
		(1) (2)
		56 0.36
		58 0.03
		59 0.05
		86 0.02
		87 0.02
		88 0.11
		89 0.06
		92 0.02
		93 0.06
		94 0.06
		95 0.02
		96 0.04
		97 0.03
		98 0.05
		117 0.07
		120 0.04
		125 0.04
		125 0.04
		126 0.05
		132 0.08
		134 0.06
		135 0.03
		141 0.07
		142 0.12
		154 0.05
		155 0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.		

(1)	(2)	(1)	(2)
156	0.05	77	0.03
	योग . . . 1.67	89	0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.		90	0.13
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		91	0.07
		92	0.06
		101	0.07
		112	0.02
		115	0.06
		119	0.03
		120	0.05
		159	0.07
		योग . . .	2.04

क्र. 322-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—नौगवों
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.04 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.10
3	0.10
4	0.06
5	0.09
7	0.06
8	0.02
10	0.04
15	0.08
22	0.06
23	0.07
32	0.12
37	0.12
42	0.23
46	0.05
50	0.05
51	0.03
52	0.03
54	0.03
70	0.05
75	0.03

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 324-भू-अर्जन-2011.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम—ओबरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.87 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
540	0.19
578	0.09
479	0.11
491	0.05
492	0.05
488	0.06
493	0.06
495	0.03
499	0.03
419	0.05

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—झगरहा	
420	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.56 हेक्टेयर.	
421	0.03	खसरा	रकबा
422	0.03	नम्बर	(हेक्टेयर में)
423	0.04	(1)	(2)
418	0.02	255	0.03
413	0.24	257	0.15
412	0.05	258	0.12
471	0.14	259	0.02
442	0.09	278	0.11
437	0.11	296	0.12
239	0.03	297	0.04
238	0.02	307	0.10
237	0.02	309	0.09
236	0.03	316	0.13
227	0.04	317	0.08
226	0.02	320	0.05
225	0.03	321	0.07
223	0.06	324	0.02
210	0.06	325	0.12
203	0.06	326	0.07
		327	0.06
		335	0.16
		340	0.02
		योग . .	<u>1.56</u>
	योग . .		<u>1.87</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 326-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 328-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—अकौरी		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.70 हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
44	0.19	601	0.02
45	0.19	602	0.09
46	0.07	603	0.09
47	0.03	604	0.17
48	0.20	639	0.02
49	0.52	640	0.13
55	0.01	641	0.12
57	0.21	642	0.30
58	0.01	644	0.01
60	0.13	650	0.21
61	0.11	652	0.22
62	0.27	658	0.09
63	0.21	659	0.23
64	0.32	662	0.05
130	0.04	663	0.22
155	0.01	669	0.07
156	0.06	673	0.44
157	0.06	682	0.11
158	0.12	685	0.13
159	0.13	686	0.04
175	0.06	690	0.02
176	0.16	691	0.20
314	0.08	692	0.33
315	0.13	695	0.03
318	0.14	698	0.14
321	0.05	699	0.13
322	0.08		
323	0.38		
324	0.12		
325	0.09		
326	0.03		
327	0.11		
340	0.01		
343	0.01		
367	0.14		
372	0.10		
373	0.00		
374	0.08		
375	0.02		
376	0.04		
380	0.01		
		योग . .	<u>8.70</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 330-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम—मनकीसर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.72 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.05
73	0.04
109	0.02
108	0.04
110	0.03
266	0.02
268	0.03
277	0.05
279	0.03
276	0.15
287	0.08
285	0.01
289	0.05
293	0.06
288	0.06
योग . . . 0.72	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 332-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—बोकरीं

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	0.11
52	0.09
57	0.08
58	0.04
63	0.16
64	0.14
76	0.03
77	0.22
78	0.13
99	0.21
101	0.15
102	0.17
105	0.10
106	0.04
107	0.22
108	0.13
111	0.10
118	0.03
120	0.16
122	0.07
139	0.07
141	0.04
142	0.02
151	0.22
152	0.11
153	0.01
154	0.02
155	0.04
156	0.09
157	0.12
179	0.17
180	0.05
193	0.15
194	0.03
201	0.07
206	0.07
207	0.07
208	0.13
292	0.02
293	0.08
294	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
295	0.03	438	0.11
296	0.09	439	0.11
297	0.04	440	0.05
298	0.10	441	0.23
299	0.10	442	0.12
300	0.04	449	0.35
301	0.01	452	0.24
302	0.02	453	0.04
303	0.00	483	0.05
306	0.22	484	0.09
311	0.09	498	0.02
330	0.14	499	0.06
333	0.05	501	0.02
337	0.16	502	0.09
339	0.34	525	0.17
372	0.06	526	0.16
373	0.03	531	0.13
374	0.07	536	0.08
376	0.13	540	0.04
383	0.03	541	0.22
385	0.59	542	0.07
386	0.17	545	0.06
387	0.08	547	0.16
388	0.06	555	0.14
390	0.55	556	0.07
391	0.43	558	0.11
392	0.05	559	0.09
393	0.01	567	0.03
394	0.36	573	0.12
396	0.06	607	0.23
400	0.17		
403	0.54		
405	0.02		
406	0.03		
407	0.22		
408	0.02		
411	0.02		
416	0.06		
418	0.11		
419	0.08		
432	0.01		
435	0.05		
436	0.17		
437	0.02		
		योग . .	<u>13.08</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 334-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) नगर/ग्राम—हनुमानगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.71 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1214

0.06

1215

0.07

1216

0.21

1218

0.32

1232

0.10

1287

0.05

1288

0.07

1292

0.09

1294

0.31

1295

0.03

1296

0.04

1299

0.03

1301

0.03

1307

0.02

1333

0.10

1334

0.14

1359

0.04

1360

0.03

1361

0.08

1362

0.11

1363

0.11

1364

0.01

1365

0.03

1396

0.01

1399

0.17

1400

0.16

1402

0.16

1403

0.01

1405

0.12

1407

0.13

1413

0.51

1416

0.46

(1)

(2)

1417

0.18

1418

1.03

1419

0.06

1420

0.13

1421

0.02

1422

0.03

1426

0.18

1427

0.28

2074

0.23

2075

0.02

2077

0.05

2078

0.07

2080

0.02

2081

0.03

2082

0.06

2083

0.03

2150

0.20

2151

0.11

2152

0.04

2165

0.15

2186

0.15

2190

0.08

2196

0.19

2201

0.13

2202

0.11

2203

0.09

2208

0.03

2211

0.15

2212

0.04

2213

0.08

2214

0.06

2215

0.09

2239

0.12

2240

0.01

2244

0.21

2245

0.28

2249

0.01

2250

0.09

2254

0.07

2255

0.01

2256

0.11

2257

0.07

2259

0.07

2260

0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
2262	0.09	809	0.01
2263	0.12	810	0.01
2264	0.14	811	0.05
2265	0.06	812	0.08
2267	0.13	815	0.02
2268	0.06	816	0.05
2271	0.11	819	0.02
2272	0.02	910	0.09
2273	0.07	914	0.03
2275	0.10	916	0.08
2276	0.09	918	0.04
2277	0.18	919	0.01
2279	0.05	923	0.19
2282	0.30	926	0.05
2285	0.11	927	0.02
2287	0.09	928	0.09
योग . .	<u>10.71</u>	929	0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.		933	0.04
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.		934	0.04
क्र. 336-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		936	0.01
		939	0.07
		1100	0.03
		योग . .	<u>1.32</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		क्र. 338-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
			अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन—		(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—सीधी		(क) जिला—सीधी	
(ख) तहसील—गोपद बनास		(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	
(ग) नगर/ग्राम—देवगढ़			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.32 हेक्टेयर.			
खसरा	रकबा		
नम्बर	(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
731	0.09		
733	0.03		
734	0.03		
736	0.06		
737	0.05		

(ग) नगर/ग्राम—बेल्दह		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.08 हेक्टेयर.		1607	0.16
खसरा	रकबा	1612	0.11
नम्बर	(हेक्टेयर में)	1613	0.01
(1)	(2)	1614	0.01
8	0.05	1615	0.12
10	0.19	1617	0.02
67	0.11	1618	0.16
88	0.48	1620	0.02
89	0.13	1622	0.01
90	0.04	1626	0.03
91	0.04	1696	0.13
92	0.09	1699	0.02
103	0.02	1704	0.02
105	0.06	1705	0.05
106	0.02	1706	0.02
107	0.05	1708	0.02
110	0.01	1714	0.03
113	0.42	1715	0.10
120	0.10	1716	0.01
150	0.01	1743	0.09
151	0.02	1744	0.01
153	0.17	1745	0.06
154	0.01	1752	0.09
155	0.22	1757	0.07
156	0.01	1758	0.12
157	0	1761	0.12
158	0.49	1768	0.06
NA	0.65	1770	0.32
24	0.04		
25	0.27		योग . . . 7.08
39	0.04		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
704	0.14		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
735	0.08		क्र. 340-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
736	0.07		अनुसूची
737	0.02		(1) भूमि का वर्णन—
799	0.14		(क) जिला—सीधी
800	0.07		(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
841	0.28		
845	0.19		
1595	0.23		
1596	0.02		
1597	0.01		
1601	0.01		
1605	0.04		
1606	0.05		

(ग) नगर/ग्राम—ठकुरदेवा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.07 हेक्टेयर.			
खसरा	रकबा	168	0.05
नम्बर	(हेक्टेयर में)	169	0.06
(1)	(2)	170	0.02
52	0.05	171	0.03
54	0.01	173	0.03
55	0.04	174	0.01
56	0.09	328	0.08
59	0.03	330	0.02
62	0.06	331	0.03
63	0.04	332	0.03
66	0.07	336	0.02
67	0.01	3367	0.03
68	0.01	338	0.02
69	0.01	339	0.01
70	0.01	843	0.13
71	0.02	844	0.02
72	0.04		योग . . . 2.07
73	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	
74	0.05	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
76	0.03		
77	0.05		
78	0.05		
79	0.02		
80	0.06		
81	0.06		
82	0.02		
87	0.02		
88	0.02		
89	0.02		
138	0.02		
139	0.09		
141	0.03		
144	0.05		
145	0.02		
149	0.04		
150	0.08		
153	0.02		
155	0.02		
157	0.02		
158	0.02		
159	0.02		
160	0.03		
161	0.06		
162	0.01		

क्र. 342-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम—कुबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.92 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93	0.13
94	0.09
95	0.02
97	0.04
136	0.16
161	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
162	0.02	598	0.05
163	0.04	599	0.06
165	0.02	602	0.01
166	0.04	603	0.04
167	0.07	604	0.03
168	0.03	605	0.03
169	0.05	606	0.03
171	0.01	607	0.02
173	0.03	608	0.05
174	0.03	611	0.05
175	0.06	612	0.10
176	0.09	619	0.03
177	0.03	629	0.04
178	0.00	631	0.02
179	0.00	632	0.02
184	0.04	633	0.18
298	0.02	635	0.03
301	0.07	636	0.04
302	0.04	650	0.06
312	0.16	652	0.02
313	0.01	655	0.04
316	0.09	764	0.02
317	0.11	765	0.08
351	0.07	776	0.02
353	0.03	777	0.04
356	0.02	779	0.05
357	0.09	787	0.41
374	0.06	792	0.36
375	0.05	794	0.05
393	0.02	795	0.03
394	0.05	820	0.07
396	0.02	821	0.04
402	0.12	826	0.06
431	0.05	842	0.08
432	0.09	843	0.00
440	0.04	844	0.19
441	0.01	845	0.06
443	0.01	850	0.08
444	0.10	851	0.05
446	0.05	852	0.02
500	0.06	863	0.02
506	0.01	867	0.02
595	0.14	870	0.21
596	0.06	871	0.09

(1)	(2)	(1)	(2)
873	0.07	1082	0.09
874	0.08	1083	0.03
882	0.05	1085	0.02
884	0.07	1091	0.09
889	0.11	1092	0.10
891	0.00	1110	0.05
908	0.08	1261	0.04
909	0.03	1282	0.04
931	0.02	1283	0.20
933	0.01	1287	0.17
934	0.05	1300	0.11
935	0.03	1301	0.10
936	0.08	1322	0.08
937	0.02	1326	0.01
938	0.05	1327	0.07
939	0.04	1328	0.14
962	0.11	1329	0.11
964	0.10	1336	0.04
965	0.09	1337	0.04
966	0.01	1338	0.11
970	0.25	1350	0.02
985	0.03	1372	0.01
986	0.02	1373	0.06
987	0.06	1374	0.10
990	0.04	1375	0.16
991	0.04	1390	0.02
993	0.03	1391	0.04
1028	0.01	1392	0.03
1040	0.02	1402	0.21
1041	0.03	1404	0.11
1042	0.03	1443	0.20
1043	0.10	1444	0.03
1045	0.02	1446	0.14
1046	0.03	1448	0.12
1049	0.09	1464	0.11
1051	0.07	1465	0.03
1052	0.02	1466	0.03
1055	0.01	1467	0.01
1057	0.09	1468	0.08
1058	0.07	1469	0.35
1060	0.01	1480	0.18
1068	0.02	1481	0.11
1069	0.08	1486	0.16
1070	0.01	1844	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
1845	0.08	2179	0.08
1848	0.08	2180	0.04
1849	0.08	2181	0.08
1855	0.04	2985	0.04
1868	0.10		योग . . 15.92
1871	0.14	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
1884	0.15	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
1885	0.21		क्र. 344-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
1921	0.02		अनुसूची
1928	0.02	(1)	भूमि का वर्णन—
1929	0.01	(क)	जिला—सीधी
1932	0.12	(ख)	तहसील—रामपुर नैकिन
1987	0.01	(ग)	नगर/ग्राम—करनपुर
1990	0.07	(घ)	लगभग क्षेत्रफल—4.99 हेक्टेयर.
1993	0.18		खसरा रकबा
1994	0.16		नम्बर (हेक्टेयर में)
1995	0.08	(1)	(2)
1996	0.15	84	0.08
1998	0.16	349	0.21
1999	0.03	350	0.04
2020	0.10	351	0.06
2024	0.12	352	0.05
2030	0.21	353	0.02
2040	0.12	357	0.07
2064	0.06	370	0.03
2067	0.12	378	0.41
2087	0.04	380	0.31
2088	0.08	381	0.19
2091	0.07	383	0.02
2093	0.07	387	0.03
2098	0.10	388	0.07
2099	0.09	390	0.04
2132	0.19	391	0.12
2133	0.01	392	0.07
2166	0.10	403	0.05
2167	0.16		
2168	0.02		
2173	0.02		

(1)	(2)	(1)	(2)
211	0.14	635	0.01
231	0.06	636	0.03
245	0.09	637	0.12
250	0.34	639	0.06
251	0.04		योग . . . 4.99
265	0.11	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
266	0.06	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
267	0.08		
268	0.04		
269	0.02		
293	0.11		
295	0.06		
296	0.04		
310	0.09		
311	0.07		
312	0.01		
313	0.12		
371	0.05		
375	0.08		
455	0.01		
456	0.05		
457	0.05		
458	0.03		
460	0.01		
468	0.09		
473	0.04		
474	0.03		
476	0.03		
477	0.01		
490	0.00		
494	0.01		
495	0.05		
496	0.02		
497	0.03		
498	0.01		
604	0.03		
605	0.09		
606	0.15		
616	0.09		
618	0.09		
619	0.02		
627	0.14		
632	0.07		
633	0.14		
			योग . . . 2.10

क्र. 346-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) नगर/ग्राम—कोल्हुआ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टेयर.

खसरा रकबा
 नम्बर (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
81	0.17
83	0.08
84	0.08
87	0.05
88	0.09
91	0.09
112	0.23
113	0.19
114	0.06
166	0.17
167	0.11
168	0.08
169	0.08
201	0.08
202	0.12
203	0.13
268	0.09
269	0.08
270	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	(1)	(2)
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	587	0.12
	589	0.08
	598	0.06
क्र. 348-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	599	0.03
	600	0.06
	633	0.03
	634	0.06
	636	0.00
	637	0.06
	638	0.02
	639	0.07
	640	0.09
	697	0.03
		योग . . . 2.26
	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	
	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
	क्र. 350-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
		अनुसूची
	(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—सीधी		
(ख) तहसील—गोपद बनास		
(ग) नगर/ग्राम—बढ़ौरा		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.26 हेक्टेयर.		
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
12	0.15	
14	0.05	
15	0.07	
16	0.03	
411	0.04	
433	0.03	
435	0.03	
436	0.01	
437	0.02	
442	0.12	
443	0.05	
444	0.03	
447	0.12	
449	0.08	
481	0.02	
501	0.08	
502	0.07	
503	0.05	
504	0.04	
505	0.05	
506	0.08	
509	0.01	
510	0.02	
539	0.04	
542	0.08	
543	0.07	
547	0.01	
565	0.01	
566	0.09	
		योग . . . 0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	351	0.11
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	352	0.11
	407	0.02
क्र. 352-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	408	0.28
	644	0.03
	650	0.02
	662	0.06
	663	0.07
	664	0.06
	671	0.17
	672	0.05
	673	0.02
	686	0.04
(1) भूमि का वर्णन—	687	0.02
(क) जिला—सीधी	693	0.12
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	694	0.08
(ग) नगर/ग्राम—भोलगढ़	696	0.03
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.91 हेक्टेयर.	697	0.08
खसरा	रकबा	
नम्बर	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
121	0.07	0.11
122	0.10	0.09
124	0.03	0.07
125	0.01	0.07
127	0.05	0.06
128	0.09	0.03
131	0.05	0.04
137	0.01	0.05
138	0.04	0.04
139	0.01	0.02
146	0.01	0.02
147	0.03	
157	0.01	
158	0.21	
159	0.01	
160	0.01	
162	0.03	
174	0.15	
175	0.01	
176	0.01	
177	0.05	
178	0.08	
179	0.05	
180	0.07	
189	0.07	
334	0.19	
335	0.01	
346	0.27	
347	0.06	
		योग . . . 3.91
	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	
	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
	क्र. 354-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
	अनुसूची	
	(1) भूमि का वर्णन—	
	(क) जिला—सीधी	
	(ख) तहसील—गोपद बनास	

(ग) नगर/ग्राम—मिर्चवार		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.36 हेक्टेयर.			
खसरा	रकबा	397	0.06
नम्बर	(हेक्टेयर में)	400	0.07
(1)	(2)	401	0.07
10	0.22	402	0.56
11	0.15		योग . . . 7.36
23	0.16		
24	0.19		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
31	0.21		
37	0.19		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
38	0.05		
39	0.27		
40	0.13		क्र. 356-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
205	0.07		
207	0.33		
210	0.10		
214	0.09		
215	0.22		
217	0.10		
219	0.05		
238	0.71		
250	0.25		
257	0.14		
275	0.14		
312	0.14		
314	0.12		
315	0.16		
336	0.02		
339	0.09		
340	0.04		
343	0.04		
344	0.05		
345	0.02		
346	0.06		
347	0.08		
348	0.05		
349	0.05		
350	0.05		
352	0.14		
353	0.10		
361	0.38		
362	0.03		
363	0.20		
364	0.18		
386	0.23		
389	0.11		
390	0.26		
392	0.07		
396	0.16		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) नगर/ग्राम—पुरूषोत्तमगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.72 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

5

0.02

6

0.02

21

0.05

22

0.06

23

0.01

25

0.08

28

0.16

29

0.03

41

0.02

42

0.10

44

0.07

45

0.00

47

0.12

127

0.06

128

0.14

132

0.04

133

0.05

134

0.02

136

0.01

203

0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
206	0.25	338	0.04
208	0.13	339	0.04
209	0.04	358	0.01
210	0.08	361	0.06
211	0.06	362	0.02
	योग . <u>1.72</u>	363	0.03
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.	364	0.03
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	365	0.04
		366	0.03
		367	0.03
		368	0.01
		371	0.06
		416	0.02
		440	0.02
		441	0.04
		442	0.07
		443	0.03
		योग . <u>2.00</u>	

क्र. 358-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) नगर/ग्राम—पोड़ी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278	0.03
280	0.07
292	0.03
293	0.13
294	0.05
295	0.09
300	0.10
301	0.19
302	0.03
303	0.07
317	0.23
319	0.03
320	0.01
321	0.07
328	0.03
329	0.01
330	0.03
331	0.18
335	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
 राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 732-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त योजना प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—हनुमना

		(1)	(2)
(ग) ग्राम—पोखरौड़			
(घ) क्षेत्रफल—1.992 हेक्टर.			
खसरा	अर्जित रकबा	201	0.045
नम्बर	(हेक्टर में)	202/1	0.045
(1)	(2)	63	0.049
121/1	0.014	52	0.170
120/1क	0.056	208	0.073
120/3क	0.016	249/1	0.065
121/1	0.014	161	0.130
120/1ख	0.056	288	0.008
120/3ख	0.016	214	0.032
125	0.036	162	0.053
120/2	0.080	266/2	0.126
112	0.400	165	0.073
110	0.092	167/4	0.020
109	0.404	167/2	0.170
100	0.064	167/1	0.020
80	0.232	167/3	0.020
82	0.376	213	0.081
79	0.056	55/1	0.041
83	0.080	212	0.020
योग . . .	<u>1.992</u>	55/2	0.025
		141/2	0.033
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोवरदहा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.		194	0.085
		191	0.028
(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.		239	0.093
		264/1	0.020
		264/3	0.020
क्र. 733-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		265	0.057
		264/2	0.020
		263/2	0.065
		243	0.008
		140	0.008
		209	0.029
		290	0.085
		210	0.016
(1) भूमि का वर्णन—		65/3	0.032
(क) जिला—रीवा		66/1ख	0.032
(ख) तहसील—हनुमना		126	0.032
(ग) ग्राम—कोलहा		211/1	0.016
(घ) क्षेत्रफल—2.508 हेक्टर.		287	0.049
खसरा	अर्जित रकबा	240	0.049
नम्बर	(हेक्टर में)	68	0.041
(1)	(2)	53/1	0.021
51	0.154	53/2	0.032
192/1	0.028	54	0.055

(1)	(2)
181	0.073
142	0.024
54/4	0.029
53/3	0.008
योग . .	<u>2.508</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूड़ा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 735-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—धौसड़
(घ) क्षेत्रफल—1.924 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
309	0.008
666/1	0.041
310	0.069
666/2	0.073
407	0.048
413	0.243
411	0.061
408	0.024
665	0.093
410	0.024
570	0.304
571	0.012
574	0.008
576	0.081
664	0.121
639	0.033

(1)	(2)
640	0.049
641	0.057
644	0.016
645	0.012
646	0.101
637/2	0.065
643/2	0.025
648	0.162
649	0.097
650	0.016
412	0.081
योग . .	<u>1.924</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूड़ा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 737-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—टटिहरा
(घ) क्षेत्रफल—3.942 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
710/3	0.263
710/2	0.405
709/12क	0.121
709/12ख	0.121
710/7क	0.065
710/7ख	0.065
710/18	0.121
709/11क	0.810
711	0.065

(1)	(2)
743/1	0.016
740/2	0.041
741/2	0.105
737	0.081
451	0.109
445	0.032
434	0.069
435	0.121
436	0.028
437	0.004
731/1क	0.146
731/2	0.032
731/1ख	0.008
732	0.138
733/1	0.234
754/2	0.053
754/1	0.061
755	0.081
446/2	0.020
756/2	0.081
508/1	0.097
450	0.061
510	0.021
738	0.121
506	0.146
योग . .	<u>3.942</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूड़ा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

क्र. 2254-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—शिवपुरवा कोठार

(घ) क्षेत्रफल—0.183 हेक्टर.

खसरा	अर्जित
क्रमांक	रकबा
	अशासकीय
	शासकीय
	भूमि (हे. मे.)
	भूमि (हे. मे.)
91	0.183
योग . .	<u>0.183</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन नहर की मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्र. 9470-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—बाम्हनवाड़ा, प. ह. नं. 12, ब. नं. 202
 रा. नि. मंडल—चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —21.407 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
392/1	0.165
453/7	0.320
387/2	0.090
389/1	0.230
389/2	0.740
390/1	1.185
390/2	1.186
391/1	0.100
391/3	0.570
385/6, 454/6	1.000
385/7, 454/11	0.025
385/10, 454/14	2.189
385/2, 454/2	3.187
453/1	0.320
385/1, 454/1	1.890
385/3, 454/3	3.340
457/3, 465/3	0.430
459	1.088
464	0.730
453/5	1.133
458	0.619
453/8	0.320
453/9	0.320
453/10	0.230
योग . .	21.407

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना चौरई के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक 2, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 9471-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—चन्हियाकलां, प. ह. नं. 33, ब. नं. 153,
 रा. नि. मंडल—छिन्दवाड़ा 1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —16.867 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
23	0.105
27	0.225

(1)	(2)	(1)	(2)
28	0.130	77/2	0.405
40	0.140	80/1	0.506
41	0.120	77/3	0.809
58	0.225	78/1	0.810
48	0.040	80/2	0.708
50	0.125	78/2	0.809
51	0.081	80/3	0.607
42	0.290	80/4	0.607
47	0.202	83/1	0.202
49	0.032	84/1	0.040
52	0.170	84/3	0.500
53	0.129	81	0.611
54	0.384	83/2	0.182
55/1	0.101	84/2	1.534
55/2	0.101	योग . .	16.867
55/3	0.101		
55/6	0.162	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना चौरई के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
55/4	0.101		
55/5	0.162	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	
67/1	0.012		
67/2	0.595	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	
66	0.160		
68/1	0.475		
68/2	0.335	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
69/1	0.230		
70	0.440		
73	0.185		
74	0.210		
76/1	0.650		
76/2	0.590		
76/3	0.315		
77/4	0.405		
77/1	0.809		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 1606-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011(भाग-बी).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण “Refresher Course for Civil Judges, Class-II” (2008 Batch) (Third Batch), जो दिनांक 9 जनवरी 2012 से 13 जनवरी 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 9 जनवरी 2012 को प्रातः काल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी :—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 9 जनवरी 2012 को प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेन्ट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाऊज व काले कोट में उपस्थित होंगे.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारंभ होने के, कम से कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें :—
 - (i) Judgment in Civil Case (contested) and
 - (ii) Judgement in Criminal case (contested)
 - (iii) Issues framed by themselves
 - (iv) Charge framed by themselves
 - (v) Accused Statement Prepared by themselves.

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें.
6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है. जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्र. B-3305-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री ए. एम. येवलेकर, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 165 दिवस (एक सौ पैसठ दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

- | | |
|---|---------------------|
| 1. श्री ए. एम. येवलेकर, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश. जबलपुर का नियुक्ति दिनांक. | 23-2-1974 |
| 2. सेवानिवृत्ति दिनांक | : 30-11-2011 |
| 3. नियुक्ति दिनांक 23-2-1974 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि. | : 13 वर्ष 15 दिन |
| 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. | : 24 वर्ष 8 माह |
| 5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). | : 13×15=195 दिन |
| 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). | : 24=12×15=180 दिन. |
| 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. | : 375 दिन |
| 8. घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. | : 210 दिन |
| 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. | : 165 दिन |

(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2011 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन).

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. E-5328-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5331-दो-2-49-2007.—श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरीश कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5335-दो-2-60-2009.—श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 29 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभिनन्दन कुमार जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिनन्दन कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5337-दो-2-129-2006.—श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 29 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 से 7 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्र. E-5357-दो-2-42-2010.—श्री एस. एन. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 29 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 से 7 नवम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एन. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5361-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 2 से 3 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10672-दो-2-26-2005.—श्री ए.एच.एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 31 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 6 एवं 7 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए.एच.एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.एच.एस. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10707-दो-2-34-2006.—श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर से 25 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. पोरवाल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. पोरवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10710-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10712-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 17 से 18 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10714-दो-3-34-2006.—श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 12 से 14 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुये तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10716-दो-2-05-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10718-दो-2-05-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 21 से 22 सितम्बर 2011 तक एवं दिनांक 29 अक्टूबर 2011 का कुल तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2011

क्र. C-10739-दो-2-42-2007.—सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 18 से 22 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुषमा खोसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुषमा खोसला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10759-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2011

क्र. C-10835-दो-2-71-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और

विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-10837-दो-2-18-2006.—श्री सी.व्ही. सिरपुरकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-10839-दो-2-70-2007.—श्रीमती दुर्गा डार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. C-10866-दो-2-05-2005.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10868-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 17 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10870-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 3 दिसम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10872-दो-2-41-2011.—श्री अनिल ठाकरे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 25 नवम्बर 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल ठाकरे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल ठाकरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10874-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10876-दो-2-11-2011.—श्री श्यामकुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 21 से 22 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्यामकुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10878-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस.के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस.के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-10880-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, भोपाल को दिनांक 30 नवम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10882-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, भोपाल को दिनांक 8 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-10884-दो-2-14-2005.—श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को रजिस्ट्री आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 22 अक्टूबर 2011, 24 अक्टूबर 2011 एवं 29 अक्टूबर 2011 के तीन दिवस के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. C-10886-दो-2-74-07.—श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-10888-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 24 नवम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3345-दो-2-19-2003.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 21 से 23 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3348-दो-2-11-2009.—श्री व्ही. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही.के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब, न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3350-दो-2-37-2007.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 3 से 17 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पन्द्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3361-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 26 नवम्बर 2011 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-5448-दो-3-53-2001.—श्री एल.एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 12 से 14 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एल.एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल.एच. थधानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-5450-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. E-5452-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 23 से 26 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-5454-दो-3-53-2001.—श्री एल.एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2011 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2011 से दिनांक 7 जनवरी 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एल.एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल.एच. थधानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-5469-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 दिसम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र. बी-3216-तीन-6-6/64 भाग-चार.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/1705/तीन-6-6/64 भाग-तीन, दिनांक 19 जून 2008 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय श्री सुनील कुमार मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, जबलपुर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3(सी)-51/77/बी-21, दिनांक 4 अक्टूबर 1983 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय की विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई

अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है :—

अनुसूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954).
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956).

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय, जबलपुर में रहेगा.

No. B-3216-III-6-6/64 Pt-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of High Court Notification No. C/1705/III-6-6/64 Pt-III, dated 19th June 2008, the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Sunil Kumar Mishra, Judicial Magistrate First Class & IInd Civil Judge Class-I, Jabalpur as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. 3 (C)-51/77/B-21, dated 4th October 1983, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactment specified in schedule below :—

SCHEDULE

1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954).
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956).

The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Jabalpur.

क्र. बी-3218-तीन-6-6/64 भाग-चार.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी/3811/तीन-6-6/64 भाग-तीन, दिनांक 28 नवम्बर 2011 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री प्रशांत कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं दशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, ग्वालियर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3(सी)14/83/21-बी(1), दिनांक 3 सितम्बर 1993 द्वारा ग्वालियर में स्थापित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या

उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है :—

अनुसूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954).
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956).

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय, ग्वालियर में रहेगा.

No. B-3218-III-6-6/64 Pt-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of High Court Notification No. C/3811/III-6-6/64-III, dated 28th November 2008, the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Prashant Kumar, Judicial Magistrate First Class & Xth Civil Judge Class-I, Gwalior, as the Special Magistrate of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established at Gwalior by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department, Bhopal Notification No. 3 (C)-14/83/21-B(1), dated 3rd September 1993, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in the schedule below :—

SCHEDULE

1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954).
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956).

The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Gwalior.

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

क्र. बी-3220-तीन-6-6/64 भाग-चार.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी/2610/तीन-6-6/64 भाग-तीन, दिनांक 29 जून 2010 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय श्री संजय कुमार सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-4-96/21-बी(1), दिनांक 07 सितम्बर 1996 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा

या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिए नियुक्त करता है :-

अनुसूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954).
2. मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956).

उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय, भोपाल में रहेगा.

No. B-3220 . . . -III-6-6/64 Pt-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of High Court Notification No. B/2610/III-6-6/64 Pt-III, dated 29th June 2010, the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Sanjay Kumar Singh, Judicial Magistrate First Class & VIIIth Civil Judge Class-I, Bhopal, as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government vide Law & Legislative Affairs Department, Bhopal Notification No. 1-4-96-21-B(1), dated 7th September 1996, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below :-

SCHEDULE

1. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954).
2. Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956).

The Head Quarter of the Presiding Officer of the said Court shall be at Bhopal.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2011

क्र. B-3303-दो-3-16-2007.—श्री व्ही.बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 10 से 26 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 09 नवम्बर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही.बी. सिंह, बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2011

क्र. 1632-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1537/गोपनीय/दो-2-1/2011 (भाग-ए), दिनांक 2 दिसम्बर 2011, जहां तक इसका संबंध श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद का, होशंगाबाद से, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के पद पर स्थानांतरण से है, एतद्द्वारा स्थगित किया जाता है. वे आगामी आदेश तक, अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

क्र. 1609-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	श्री देवी सिंह बर्मन, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

टिप्पणी.—रजिस्ट्री के आदेश रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1592-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-ए), दिनांक 14-12-2011, जहां तक इसका संबंध श्री देवी सिंह बर्मन, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल का, चौदहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल के पद पर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 15th December 2011

No. B-3210-III-6-3-57-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. C/2272/III-6-3/57-IX, Jabalpur, dated 20-08-2008 the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property-(unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance, arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. 4 of the said table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S.No.	Name of Magistrate	Head Quater	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Ayaz Mohd. JMFC & IXth CJ-1, Gwalior.	Gwalior	Gwalior, Morena, Bhind, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Chhatarpur, Sagar, Vidisha, Bhopal, Damoh, Satna, Sheopur, Jabalpur, Katni, Sidhi, Rewa, Guna, Shajapur, Rajgarh and Sehore.

No. B-3212-III-6-3-57-X.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. C/1713/III-6-3/57-IX, Jabalpur, dated 19-06-2008 the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property-(unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial

Magistrate First Class can take cognizance, arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. 4 of the said table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S.No.	Name of Magistrate	Head Quater	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Dinesh Prasad Mishra. JMFC & XIIth CJ-1, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Khandwa, Hoshangabad, Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Gwalior, Sagar, Rewa, Satna, Datia, Morena, Shahdol, Chhindwara, Mandla, Seoni, Tikamgarh, Balaghat, Narsinghpur, Betul, Chhatarpur, Damoh, Sidhi & Katni.

No. B-3214-III-6-3-57-XI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. B/1753/III-6-3/57-X, Jabalpur, dated 16-04-2010 the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property-(unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance, arising out of territories jurisdiction of Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. 4 of the said table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely :—

TABLE

S.No.	Name of Magistrate	Head Quater	Local Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Alok Kumar Mishra, JMFC & XVth CJ-1, Indore.	Indore	Indore, Dewas, Ujjain, Bhopal, Shajpur, Guna, Ashoangar, E.N. Khandwa, Burhanpur, Khargone, Sehore, Vidisha, Ratlam, Jhabua, Alirajpur, Mandsaur, Neemuch, Rajgarh, W.N. Mandleshwar.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.).